पत्रांक–05 / बजट (सामग्री एवं पूर्तियाँ)–अंचल–आ0–08 / 2026................/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

आजीव वत्सराज,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–........................

विषय – CCTV कैमरा के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु आवश्यक दिशा-निदेश।

प्रसंग – आवंटन से संबंधित विभागीय पत्रांक–87 (5)/रा०, दिनांक–13.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल कार्यालय अंतर्गत CCTV कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व कार्यों (म्यूटेशन, परिमार्जन) में पारदर्शिता, अंचल कार्यालय की 24/7 सुरक्षा तथा मुख्यालय (पटना) से रिमोट निगरानी है।

उक्त के आलोक में विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी अंचलों में CCTV कैमरा के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु विपत्रकोड–40-2029001040001 के अन्तर्गत विषयशीर्ष 1301 (कार्यालय व्यय) मद में CFMS के माध्यम से (आवंटन आई०डी०-52497) द्वारा सभी संबंधित जिलों को राशि आवंटित की गयी है।

निदेशानुसार CCTV कैमरा के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु दिशा -निदेश निम्नलिखित है:–

1. CCTV installation हेतु निम्न उपकरण क्रय कर इंस्टॉल कराए जाने हैं:

S.NO	DESCRIPTION
1	NVR- 16 Channel -CpPlus-144Mbps Bandwidth
2	2 MP IP Gaurd Camera Bullet-Color& Audio-CTC
3	2 MP IP Guard Camera Dome-Color& Audio-CTC
4	16 PORT POE SWITCH 100/1000 MBPS
5	HARD DISK 6TB- Survilliance
6	CAT 6A SFTP WIRE FULL COPPER 320 Meter
7	RJ 45 CONNECTOR
8	4U RACK & 2 KEY Size 550mmX550mmX250
9	LED Screen 32 Inch
10	4K HDMI 5 METER
11	EXTENSION BOARD 4+1 (4MTR)
12	JUNCTION BOX Size 5x5
13	Camera Installation Charge and Extra Accessories +2 Year Service Charge

*सभी **equipment** पर कम से कम 2 साल की **warranty** तथा सर्विस लेना अनिवार्य होगा।

2. **CCTV कैमरा के मुख्य कवच क्षेत्र (Areas to Cover) निम्नलिखित होंगे:**

- **अंचल अधिकारी (CO) कक्ष एवं अंचल कार्यालय कक्ष :** प्रशासनिक कार्यों की सुगमता के लिए।
- **मुख्य द्वार :** कार्यालय में आने-जाने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने के लिए।

3. रिमोट एक्सेस हेतु कनेक्टिविटी बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (**BSWAN**) या उपलब्ध हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड का उपयोग करके CCTV डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे **सेंट्रल कमांड सेंटर से देखा जाएगा, साथ ही मोबाइल ऐप की माध्यम से** संबंधित DM, ADM और SDO/DCLR अपने मोबाइल पर किसी भी अंचल कार्यालय की लाइव फ़ीड देख सकेंगे। CCTV के कम से कम विगत 30 दिन का लाइव फ़ीड स्टोर करके रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

4. Installation के उपरान्त सभी अंचल अधिकारी अपने मोबाईल पर भी ऐप के माध्यम से सभी कैमरा का लाइव फीड देखना सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त कार्य हेतु आवंटित राशि का उपयोग CCTV कैमरा के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु ही की जाय। किसी भी अन्य कार्य हेतु इस राशि का उपयोग न की जाय। साथ ही, इस राशि की निकासी इसी वित्तीय वर्ष कर ली जाय। यदि किसी कारणवश राशि की निकासी नहीं की जाती है एवं देयता अगले वित्तीय वर्ष में बनी रहती है, तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा –निदेशों का अनुपालन करते हुए यथाशीघ्र अपने जिलान्तर्गत सभी अंचल कार्यालयों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन कराते हुए इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक– (5)/रा०, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/ सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक– 96 (5)/रा०, पटना–15, दिनांक– 19-02-2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव-1 एवं सचिव-2 के आप्त सचिव/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/विभागीय आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

D:\Revenue 2026\1301 (CCTV) 19.02.doc